अति महत्वपूर्ण

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666193 ई मेल–lkomdm@gmail.com

फोन नं0–0522–2308502, 6666177, 2307093, 2307094 Website : www.upmdm.org

पत्रांकः म0भो0प्रा0/C-726/2014–15 दिनांक 25 जून, 2014

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 में परिवर्तन लागत मद की अनुमन्य दरों के सम्बन्ध में।

महोदय,

योजना संचालन हेतु परिवर्तन लागत की दरों के संबंध में भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में **परिवर्तन लागत की दरों में वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2014 से अनुमन्य की गयी है।**

भारत सरकार के उक्त निर्णयानुसार **दिनांक 01 जुलाई, 2014 से परिवर्तन लागत की नवीन दर** प्राथमिक विद्यालयों हेतु **रू0 3.59** प्रतिछात्र प्रतिदिन (केन्द्रांश– रू0 2.69 एवं राज्यांश– रू0 0.90) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु **रू0 5.38** प्रतिछात्र प्रतिदिन (केन्द्रांश– रू0 4.04 एवं राज्यांश– रू0 1.34) अनुमन्य होगी।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रथम त्रैमास अर्थात् 01 अप्रैल, 2014 से 30 जून, 2014 के अन्तराल में वित्तीय वर्ष 2013–14 में लागू परिवर्तन लागत की दरें ही प्रभावी होंगी।

उपर्युक्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं तद्नुसार ही वास्तविकता के आधार पर मध्यान्ह भोजन निधियों से व्यय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इसमें कोई विचलन अनुमन्य नही होगा।

भवदीया,

(श्रद्धा मिश्रा)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
5. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।

(श्रद्धा मिश्रा)
निदेशक